[2022] 2 एस. सी. आर 833

ए.

हार्डियल सिंह बनाम।

बालबीर कौर और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं. 2022 की 1925) 10 मार्च, 2022

[के**.** एम**.** जोसेफ और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973:s.100-दूसरी अपील-कानून का पर्याप्त प्रश्न-25.02.2016 पर, पंकजक्षी मामले में संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया है कि जहां तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का संबंध है, दूसरी अपील में, जो कानून लागू होगा वह s होगा।41 पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में, दूसरी अपील में, न्यायालय को दूसरी अपील में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है-इस आधार पर पारित किया गया कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किए गए थे और इसके बिना उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी-अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय ने कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना भी दूसरी अपील पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जैसा कि वर्ष 2013 में पंकजक्षी में फैसले के अभाव में कानून में समझा गया था-मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया था।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाःविवादित निर्णय का अवलोकन**,** जो वास्तव में कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से पंकजक्षी **(**मृत**)** मामले में निर्णय से पहले **02.02.2013** पर दिया गया था**,** निस्संदेह**,** अपीलार्थी को अपनी शिकायत में उस स्तर पर प्रकट करता प्रतीत होता है जब न्यायालय ने पहले अवसर पर इस पर विचार किया था**,** अर्थात्**,** न्यायाधीश ने कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना भी दूसरी अपील पर विचार करने के लिए आगे बढ़े हैं**,** जो कि आवश्यकता होती**,** जैसा कि कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से पंकजक्षी **(**मृत**)** मामले में निर्णय के अभाव में वर्ष **2013** में कानून में समझा गया था।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर भी ध्यान दिए बिना मामले में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है।यह एक और मामला है कि अदालत ए के दूसरे अपील क्षेत्राधिकार में

जी.

एच.

833

834 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समझा गया है**,** बहुत संकीर्ण है।जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं और न्यायालय का दृष्टिकोण इसे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दूसरी अपील में अपने अधिकार क्षेत्र की चार दीवारों के भीतर न्यायालय को उपलब्ध शक्ति के साथ असंगत बना देगा।मामला उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया है।उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले पर जल्द से जल्द विचार करेगा कि मुकदमा वर्ष **1998** का है।**[**पारस **9,11] [837-**जी**-**एच**; 838-**ए**-**सी**,** ई**]**

पंकजक्षी (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य बनाम चंद्रिका और अन्य (2016) 6 एससीसी 157:

[2016] 3 एस. सी. आर. 1018; रणधीर कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह और अन्य (2019) 17 एस. सी. सी. 71:[2019] 9 एससीआर 776;

अवतार सिंह और ओआरएस बनामबिमला देवी और अन्य। 2021 एससीसी

ऑनलाइन एससी **827-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2016] 3 एससीआर **1018**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

[2019] 9 एससीआर **776**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील सं. 1925।

2013 (ओ एंड एम) के आर. एस. ए. No.1341 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।राकेश के. खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. पी. सिंह, भूपेंद्र सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

पार्थ सिल, तवीश बी. प्रसाद, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

अनुमति दी गई

(1) प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2, जो वादी हैं, ने अधिकार की घोषणा और निषेधात्मक निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।पहला प्रतिवादी पहले वादी की सास और दूसरे वादी की पैतृक दादी थी।अपीलार्थी पहले वादी का बहनोई है अर्थात वह सुच्चा सिंह का भाई है।

जी.

एच.

835

हार्डियल सिंह बनाम बालबीर कौर और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

(2) मुकदमा निम्नलिखित आधार पर रखा गया था।

श्री सुच्चा सिंह, जो पहले वादी के पति और दूसरे वादी के पिता थे, का निधन 21.04.1998 पर हुआ।उत्परिवर्तन के खिलाफ मामला स्थापित किया गया था जो कथित रूप से अवैध रूप से किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप, 1/3 अधिकार के संबंध में, प्रतिवादियों का नाम दर्ज किया गया था।

वादी का मामला यह है कि सुच्चा सिंह ने 21.04.1998 पर अपनी मृत्यु से पहले 19.04.1998 की एक वसीयत छोड़ी है जो 18.06.1998 पर पंजीकृत थी।वसीयत के तहत, वादी को उसके सभी अधिकार दिए गए थे।अपीलार्थी और अन्य प्रतिवादियों ने मुकदमे का विरोध किया और तर्क दिया कि 19.4.1998 दिनांकित वसीयत जाली थी।यह उनका मामला था कि चूँकि सुच्चा सिंह की निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी, इसलिए वादी और सुच्चा सिंह की माँ, जो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी थे, प्रत्येक को एक तिहाई अधिकार विरासत में मिले। उक्त उत्तराधिकार के बल पर, माँ ने अपने दो अन्य बेटों के पक्ष में 16.07.1998 (D1)

दिनांकित एक वसीयत निष्पादित की, जिनमें से एक अपीलार्थी है।मामला सुनवाई के लिए चला गया।निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया।ट्रायल कोर्ट ने पाया कि वादी सफल हुए और उन्हें वसीयत दिनांक 19.04.1998 को देखते हुए मालिक घोषित कर दिया।(3) अभियुक्तों ने अपील की।पहली अपील में, अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को उलट दिया।साक्ष्य की सराहना पर अपीलीय न्यायालय ने पाया है कि दिनांकित 19.04.1998 वसीयत के आसपास संदिग्ध परिस्थितियाँ थीं।अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया गया कि सुच्चा सिंह की मां उनके साथ रह रही थीं और इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था कि वह अपनी मां को क्यों अलग करेंगे।यह आगे पाया गया कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत के पंजीकरण सहित कुछ अन्य परिस्थितियाँ थीं जिन पर पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए विचार किया गया था कि 19.04.1998 दिनांकित वसीयत को वास्तविक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी पाया गया कि डी1 वसीयत वैध थी।साक्ष्य की सराहना के बल पर पहली अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया और सुच्चा सिंह की मां को वादी के साथ कानूनी अधिकार पाया गया।(4) अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 को लागू करने के उद्देश्य से अपील करने की वादी की बारी थी।यह उक्त दूसरी अपील में है कि जो निर्णय हमारे सामने विवादित है, वह पारित किया गया।

जी.

उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में निचली अदालत के आदेश को बहाल कर दिया है।फैसले के दौरान, उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया है कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष सही था कि 19.04.1998 दिनांकित वसीयत पर कार्रवाई की जा सकती है।

एच.

(5) हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश के. खन्ना और वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पार्थ सिल को सुना है।

जिस समय इस मामले में 06.03.2017 पर नोटिस जारी किया गया था, हम देखते हैं कि इस न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया था वह यह था कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किए गए थे और इसके बिना उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील की अनुमति दी गई है।इसी आधार पर इस अदालत ने नोटिस जारी किया था।Mr.Rakesh के. खन्ना, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, वास्तव में, इंगित करेंगे कि इस न्यायालय ने पंकजक्षी में रिपोर्ट किए गए निर्णय में दूसरी अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के संबंध में लागू कानून के प्रावधानों के बारे में पहले ही विचार कर लिया था।

(मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य बनाम चंद्रिका के माध्यम से

और अन्य (2016) 6 एससीसी 157।यह निर्णय 25.02.2016 पर दिया गया था।वास्तव में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह इंगित करेंगे कि जिस समय इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था, यह देखते हुए कि कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया था, पंकजक्षी (मृत) में निर्णय दिया गया था।

कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य (ऊपर) के माध्यम से रिपोर्ट नहीं की गई थी।कानूनी माध्यम से पंकजक्षी (मृत) में यह अदालत

प्रतिनिधि और अन्य (ऊपर), जो वास्तव में एक संविधान पीठ के फैसले में पाया गया है कि जहां तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का संबंध है, दूसरी अपील में, जो कानून लागू होगा वह पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 41 होगी।इसमें, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“कुलवंत कौर मामले में फैसला [कुलवंत कौर बनाम गुरदियाल]

सिंह मान, (2001) 4 एस. सी. सी. 262] ने एक प्रश्न उठाया जो पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 41 के आवेदन पर उठा।इस धारा को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 से पहले मौजूद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के समान भाषा में जोड़ा गया था, जिसने इसे और अधिक प्रतिबंधात्मक बनाने के लिए धारा 100 में संशोधन किया था ताकि दूसरी अपील केवल तभी दायर की जा सके जब मामले में शामिल कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो।”

(6) इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यह पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 41 है, जो पंजाब उच्च न्यायालय में दूसरी अपील के भाग्य को नियंत्रित करती

रहेगी।इस प्रकार, जहां तक पंजाब और हरियाणा का संबंध है, एक ओर दूसरी अपील में न्यायालय को दूसरी अपील में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, जो यह कहने से अलग है कि वह पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 41 में स्थित अपनी शक्तियों की सीमाओं को पार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

जी.

एच.

837

हार्डियल सिंह बनाम बालबीर कौर और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

(7) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य (ऊपर) के माध्यम से पंकजक्षी (मृत) के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने रणधीर कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह और अन्य (2019) 17 एस. सी. सी. 71 में अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि

निम्नलिखित है:“15. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलेगा कि दूसरी अपील में अधिकार क्षेत्र इस आधार पर तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना है कि निष्कर्ष गलत हैं, हालांकि, त्रुटि सकल या अक्षम्य प्रतीत हो सकती है।तथ्य के निष्कर्षों में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष भी शामिल होंगे।दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र केवल तभी होता है जब कानून या प्रक्रिया में कोई त्रुटि होती है, न कि केवल तथ्य के प्रश्न पर त्रुटि।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय साक्ष्य की सराहना के बाद दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता था क्योंकि उच्च न्यायालय ने सोचा था कि दूसरा दृष्टिकोण एक बेहतर दृष्टिकोण होगा।विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी की ओर से भूमि खरीदने के लिए वकील की प्रथम शक्ति में खंड की अनुपस्थिति पर विचार किया है; यह तथ्य कि वादी गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुआ है।”

(8) इसके अलावा, इस न्यायालय ने अवतार सिंह और अन्य बनाम अवतार सिंह बनाम

अवतार सिंह बनाम अवतार सिंह बनाम अवतार सिंह बनाम

न्यायालय ने पहले अवसर पर इस बात पर विचार किया कि विद्वान न्यायाधीश ने कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना भी दूसरी अपील पर विचार करने के लिए आगे बढ़े हैं, जैसा कि वर्ष 2013 में निर्णय के अभाव में कानून में समझा गया था।

कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से पंकजक्षी (मृत)

(ऊपर)।हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर भी ध्यान दिए बिना मामले में कार्रवाई की है।यह एक और मामला है कि इस न्यायालय द्वारा समझे गए न्यायालय के दूसरे अपील क्षेत्राधिकार में बहुत संकीर्ण है।हम सोचेंगे कि जो निष्कर्ष दिए गए हैं और न्यायालय का दृष्टिकोण इसे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दूसरी अपील में अपने अधिकार क्षेत्र की चार दीवारों के भीतर न्यायालय को उपलब्ध शक्ति के साथ असंगत बना देगा।

(10) लेकिन फिर, प्रत्यर्थी का विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेगा कि यह न्यायालय मामले को वापस भेज सकता है ताकि न्यायालय दूसरी अपील पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लागू प्रावधान के दायरे में सख्ती से विचार कर सके।हम सोचेंगे कि उक्त अनुरोध स्वीकृति के योग्य है।

(11) तदनुसार, उपरोक्त निर्णय का परिणाम यह है कि हम विवादित निर्णय को दरकिनार कर देते हैं।हम मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजते हैं।उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले पर जल्द से जल्द विचार करेगा कि मुकदमा वर्ष 1998 का है।हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि वह प्राथमिकता के आधार पर दूसरी अपील पर विचार करे। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने दोनों पक्षों की दलीलों के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।ऊपर की तरह अपील की अनुमति है।

दल अपना-अपना खर्च उठाएंगे।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.